12.	औद्योगिक उपकरण	30
13.	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	38
14.	औषध और भेषज	2
15.	वस्त्र (रंगे, छपे अथवा किसी अन्य रूप से तैयार किये गये कपड़े शामिल हैं)	5
16.	कागज उत्पादों सहित कागज और लुग्दी	3
17.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	9
18.	साबुन, कास्मेक्टिम और प्रसाधन का सामान	2
10.	रबड़ का सामान	6
20.	चमड़ा और चमड़े का सामान और पिकर्स	7
21.	कांच	2
22.	सिरामिक्स	5
23.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	1
24.	परामर्शदायी	3
25.	विविध उद्योग	41
	योग :	359

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को पेट्रोल पम्प तथा एल० पी० जी० की एजेंसियां दिए जाने के लिए दिशा-निर्देश

2985. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **पेट्रोलियम और** रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को पैट्रोल पम्प तथा एल.पी.जी. गैस की एजेंसियां दिये जाने के लिए क्या दिशा-निर्देश हैं ; और

(ख) इस समय उक्त वर्गों के लोगों के लिए इस प्रकार की एजेंसियों के आवंटन हेतु कितने मामले केन्द्र सरकार के विचाराधीन है ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस०गुरूपदस्वामी) : (क) पेट्रोल/डीजल की डीलरशिप/एल.पी.जी. के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए वर्तमान दिशा-निर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 25% के आरक्षण का प्रावधान है । इसमें चार पूर्वोत्तर राज्य शामिल नहीं हैं जहां अनुसूचित जन जाति के लिए अरूणाचल प्रदेश में 70% का, मेघालय और नागालैण्ड में 80% का और मिजोरम में 90% का का आरक्षण है । शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण $7\frac{1}{2}$ है ।

(ख) सूचना निम्नलिखित है :—

श्रेणी	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या	एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संख्या
अनुसूचित जाति/जन जाति	176	124
शारीरिक रूप से विकलांग	41	46

ये या तो 'तेल कंपनियों' अथवा तेल चयन बोर्डों में समाधान के विभिन्न चरणों में हैं।

मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जिलों में एल० पी० जी० एजेंसियां

2986. **कुमारी सईदा खातून :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मध्य और उड़ीसा के उन जिला की संख्या कितनी है जहां एल. पी. जी. एजेंसियां विद्यमान हैं और उन स्थानों के नाम क्या-क्या है जहां ये स्थित है ;

(ख) क्या जनता को पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में किसी नई एजेंसी की स्वीकृति दिये जाने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार जनता की सुविधा के लिए उड़ीसा में मयूरभंज जिले में एल. पी.जी. और पेट्रोलियम की आपूर्ति के लिए नई एजेंसियां खोलने की स्वीकृति देने का भी विचार रखती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) फिलहाल, मध्य प्रदेश के 45 जिलों में उड़ीसा के 13 जिलों में क्रमशः 207 और 75 डिस्ट्री-ब्यूटरशिपों के नेटवर्क के माध्यम से ए. पी. जी. का विपणन किया जाता है। उपर्युक्त स्थानवार सूचना को एकत्र करने में शामिल प्रयास, इससे प्राप्त किए जाने वाले लोक हित के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) और (ग) जी, नहीं वर्तमान नीति के अनुसार नई एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें उन कस्बों और शहरों में स्थापित की जाती हैं जहां की जनसंख्या 20,000 अथवा इससे अधिक हो जहां विपणन की संभावना हो।

Facilities in Osmania General Hospital, Hyderabad

2987. SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that patients are not getting proper medical treatment in the Osmania General Hospital Hyderabad due to shortage of proper medical equipments;

(b) whether it is also a fact that the Japanese Government is willing to give certain advance medical equipments as grants-in-aid to the hospital but the matter is pending consideration with the Central Government;

(c) if so, what are the details thereof and by when the proposal is likely to be cleared; and

(d) whether any aid was provided by the Central Government to the above Hospital, if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RASHEED MASOOD): (a) to (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

शीतल पेयों पर प्रतिबंध

2988. **डा० अ रार अहमद खान :** **क्या स्वास्थ्य और परिवार क याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की जानकारी है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण लिम्का तथा कुछ अन्य शीतल पेयों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए ;

(ख) लिम्का और ऐसे अन्य शीतल पेयों पर लगे प्रतिबन्ध को अब तक लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ; और